"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2016—— आश्विन 6, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-50/2011/1/5. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (लिपिक वर्गीय एंव अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. अनुसूची - एक के सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2क	सहायक प्रोग्रामर (तृतीय श्रेणी) (आपदा प्रबंधन)	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	9300-34800	4300"

2. अनुसूची - दो के सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2क	सहायक प्रोग्रामर (तृतीय श्रेणी) (आपदा प्रबंधन)	1	100%	-	-	-"

3. अनुसूची - तीन के सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"1क	सहायक प्रोग्रामर (तृतीय श्रेणी) (आपदा प्रबंधन)	18 वर्ष	35 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिए 40 वर्ष	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक अथवा (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमसीए में प्रथम श्रेणी एवं (3) शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय में या किसी अन्य प्रतिष्ठित संगठन में आईटी से संबंधित कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव."

No. F-10-50/2011/1/5. — In the exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration (Ministrial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After serial number 2 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2A	Assistant programmer (class-III) (Disaster Management)	1	class-III (Non ministerial)	9300-34800	4300"

2. After serial number 2 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2A	Assistant programmer (class-III) (Disaster Management)	1	100%	-	-	-"

3. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-III, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"1A	Assistant Programmer (class-III) (Disaster Management)	18 years	35 years (40 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) First division in Bachelor of Information Technology from a recognized University Or (2) First division in MCA from a recognized University And (3) 5 year experience in IT related work in Government/ Semi Government office or in any other reputed organization."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.